



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाईट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-401/NH-53/MSETCL/2024-25/ 1699

Date: 07.11.2024

Invitation of Public Comments

Sub: Four lane Stand Alone Ring Road / Bypasses for Nagpur City - Package-II from km 34.000 to km 62.035 (Total Length -28.035km) in the State of Maharashtra on BOT (Hybrid Annuity) basis -Proposal for permission for laying of 220KV UG Cable for 220 KV Koradi-II to Mankapur D/C across Pump House Road of the village Lonar, Tah. Nagpur Gramin, Dist. Nagpur-Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 3438 dated 26.10.2024.
2. EE, EHV, Project Div.-II MSETCL, Nagpur letter no. 915 dated 09.09.2024.

It is to inform all concern that M/s MSETCL. letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s MSEDCL for subject section of NH-53 in the State of Maharashtra is as follows:

- Crossing at km 43.140.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016 due to above transmission line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,

Regional Office - Nagpur

National Highways Authority of India,

"Narang Towers", 3rd Floor,

Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),

Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra

Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

Akash
07/11/24
(Akash Chouksey)
Manager (Tech.)
NHAI, RO, Nagpur

Copy to: (i) Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website

[web-admin@nhai.org]

(ii) Director, NIC, New Delhi

[mansoor@nic.in]

- for uploading in Ministry's website

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-401/एनएच-53/एमएसईटीसीएल/2024-25/ 1699 तारीख: 07.11.2024

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: नागपुर शहर के लिए चार लेन वाली स्टैंड अलोन रिंग रोड / बाईपास - पैकेज-II किमी 34.000 से किमी 62.035 तक (कुल लंबाई -28.035 किमी) महाराष्ट्र राज्य में बीओटी (हाइब्रिड एन्युइटी) आधार पर - लोनार गाँव, तहसील नागपुर ग्रामीण, जिला नागपुर के पंप हाउस रोड के पार 220 केवी कोराडी-II से मानकापुर डी/सी के लिए 220 केवी यूजी केबल बिछाने की अनुमति का प्रस्ताव- पंजीकृत।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 3438 दिनांक 26.10.2024।
2. ईई, ईएचवी, परियोजना प्रभाग-द्वितीय एमएसईटीसीएल, नागपुर पत्र क्रमांक। 915 दिनांक 09.09.2024.

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसईटीसीएल ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत पत्र के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. महाराष्ट्र राज्य में एनएच-53 के विषय खंड के लिए मेसर्स एमएसईटीसीएल द्वारा प्रस्तावित संरेखण निम्नानुसार है:

- किमी 43.140 पर क्रॉसिंग।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपतियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 28.01.2016 के परिपत्र के संदर्भ में, संबंधित खंड पर उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन के कारण प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपतियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपतियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी करने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपतियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

Man
07/11/24

(आकाश चौकसे)

प्रबंधक (तकनीकी)

एनएचएआई, आरओ, नागपुर

प्रतिलिपि:

- (i) वेब प्रशासन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [वेब-admin@nhai.org]
- (ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075
Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075